Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 168/2015

Smt. Kiran Devi & Anr.....Appellants

Versus

Most. Beena Devi & Ors.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04-10-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 211/2012—13 में दिनांक—02.02.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करते हुए कहा गया कि मौजा— ढोलबज्जा, पुराना खाता सं0— 99, पुराना खेसरा सं0— 1335, रकवा— 12 डी0, खेसरा सं0— 1334, रकवा— 8 डी0 एवं खेसरा सं0— 1095, रकवा— 1.5 डी0 कुल रकवा— 1.70 एकड़ भूमि सम्परिवर्ति R.S. खाता सं0— 183, R.S. खेसरा सं0— 1066, 1354 एवं 1386 की भूमि जयनन्द साह, पिता— कुबेर साह द्वारा भूदान यज्ञ समिति को दान में दी गई, जो वर्श 1957 में उनके पिता को प्राप्त हुई, जिस पर ये दखलकार है। सम्पुश्टि पश्चात इनके नाम जमाबंदी दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा R.S. खाता सं0— 465, खेसरा सं0— 1386 (77.5 डी0) एवं 1354 (45 डी0) भूमि विक्रय संलेख सं0— 9069, दिनांक— 29.8.2012 द्वारा महावीर साह के वारिशानों से क्रय की गई। अपीलार्थीगण द्वारा उत्तरवादियों को बेदखल किये जाने के विरूद्ध इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण उपस्थित होकर प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पश्ट किया कि भू—दान यज्ञ समिति को दी गई भूमि से अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि भिन्न है, चूँकि दान में दी गई भूमि C.S खाता सं0— 99, C.S. खेसरा सं0— 1335, 1345 एवं 1095 (निम्न न्यायालय आदेश में C.S. खेसरा सं0— 1065 गलत दर्ज है।), जो समरूप R.S. खाता सं0— 415, खेसरा सं0— 1065 एवं R.S. खाता सं0— 183, R.S. खेसरा सं0—1066, 1354 एवं 1386 की भूमि अपीलार्थीगण की है। अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत महावीर साह के वैध वारिशानों द्वारा क्रय करते हुए दखलकार हुए। जिसकी जमाबंदी अभी भी खतियानी रैयत महावीर साह के नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि R.S. खाता सं0— 465, खेसरा सं0— 1354 एवं 1386, C.S. खाता सं0— 1075 से सृजित है, जो दान में नही दी गई है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजर—अंदाज करत हुए आदेश पारित किया गया है, जो सही नही है।	

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 04-10-2024	क्रमशः इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश अटकलों पर आधारित तथा तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा मात्र उत्तरवादियों के कथनों पर विश्वास करते हुए बिना स्थलीय जॉच एवं सम्पुश्टि वाद सं0–269/1958 के अभिलेखों के आधार पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय को अंचल अमीन के सहयोग से C.S. नक्शा एवं R.S. नक्शे से प्रश्नगत खेसरा में मिलान किया जाना चाहिए था। यह तथ्य भी विचारणीय है कि महावीर साह एवं जय नन्दन साह की भूमि अलग–अलग है। जयनन्दन साह द्वारा दान में दी गई भूमि का संबंध महावीर साह, जो एक स्वतंत्र रैयत है से कोई सम्बन्ध नही रखता है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की गलत ब्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–1 परमानंद मंडल के मृत्यु पश्चात उनके वैध वारिशानों को प्रतिस्थापित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित एवं तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। मौजा–ढोलबज्जा, थाना सं0– 11 में उपरोक्त वर्णित पुराना खाता सं0–99, खेसरा सं0– 1335, 1345 एवं 1065 से कुल रकवा– 1.70 एकड़ भूमि इनके पिता को भू–दान यज्ञ समिति से प्राप्त है, जो समपुश्टि वाद सं0– 269, दिनांक–09.6.1958 द्वारा सम्पुश्ट ह। पुराना खाता खेसरा का R.S. खाता सं0– 415, खेसरा सं0– 1065 एवं खाता सं0– 183, खेसरा सं0– 1066, 1354 एवं 1386 बना इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज है और ये भू–लगान भुगतान कर रहे है। अपीलार्थी द्वारा गलत खतियनी रैयत से भूमि क्रय की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा C.S. एवं R.S. नक्शे का मिलान करते हुए उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात समुचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इस प्रकार अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में सलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि उत्तरवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि भू–दान पर्चा से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि के क्रय करने के आधार पर दावा कर रही हैं। अपीलार्थी का आपत्ति ह कि C.S. खेसरा 1334 एवं 1335 की भूमि उत्तरवादी के पिता को भू–दान में मिली है, जो R.S. खेसरा 1386 एवं 1354 से भिन्न है। जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयतों के वारिशानों से बजरिये केवाला क्रय की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी का दावा है कि R.S. खेसरा 1354 एवं 1386, C.S. खेसरा 1095 से बना है एवं इनके पिता को C.S. खेसरा 1095 से 1.50 एकड़ भूमि	

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 04-10-2024	क्रमशः भू–दान से प्राप्त हुई जिसका R.S. खेसरा 1354 एवं 1386 बना है। निम्न न्यायालय ने मामले की सम्यक् विवेचना करते हुए एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया है, जो सही है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not official.